न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, RAS

पत्रावली संख्या : **03/13 (प्रा0पत्र)**

प्रकरण दर्ज दिनांक : 02.01.2013 **निर्णय दिनांक : 31.10.2017**

अनवान्

1. श्रीमती प्यारी पुत्री पेमा पत्नी कन्ना डांगी निवासी नान्दवेल हाल होली तह. मावली।
2. श्रीमती गंगा पुत्री पेमा पत्नी कुका डांगी निवासी नान्दवेल हाल होली तह. मावली।
3. श्रीमती सकुबाई पत्नी लोगर डांगी निवासी नान्दवेल हाल डांगियों की टूस तह. वल्लभनगर।

.............प्रार्थीयांगण

बनाम

1. श्री लोगर मुतबन्ना कसना डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।
2. श्री दुदा पिता पेमा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।
3. श्री भोलीराम पिता पेमा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।
4. श्री वरदा पिता पेमा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।
5. श्री खुबीलाल पिता द्वारीका सुथार निवासी नान्दवेल तह. मावली।
6. श्री पटवारी, पटवार हल्का नान्दवेल तह. मावली।
7. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।

......................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता प्रार्थीयांगण।
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षी 1,3,5।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक 31.10.2017

1. प्रार्थीयांगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा नान्दवेल पटवार हल्का नान्दवेल भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र डबोक तह. मावली में निम्न कृषि भूमि स्थित है आराजी नम्बर 591, 592, 593, 882, 884, 885, 1412, 1413 किता 8 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा संम्वत् 2050 से 2053 की जमाबन्दी अनुसार लोगर मुतबन्ना कसना जी एवं 1/2 हिस्सा हम प्रार्थीयांगण के पिता जी पेमा पिता उंकार जी डांगी के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है उक्त आराजीयात में से आराजी संख्या 591 में से कुल दो बार मिला कर 13 बिस्वा जमीन लोक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हुई तथा शेष आराजीयात लोगर एवं पेमा के नाम रही पेमा का निधन हो चुका हैं।
2. उपरोक्त कलम सं. 1 में वर्णित आराजीयात वर्तमान जमाबन्दी अनुसार निम्न प्रकार से दर्ज हैं। ''परिशिष्ट अ'' में वर्णित आराजी नम्बर 884 रकबा 11 बिस्वा उक्त आराजीयात में 3/4 हिस्सा लोगर, दुदा, वरदा, 3/44 हिस्सा भोलीराम 2/11 हिस्सा खुबीलाल के नाम दर्ज हैं। ''परिशिष्ट ब'' में वर्णित आराजी नम्बर 592, 885, 1412, 1413, 591, 593

किता 6 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा उक्त आराजीयात में लोगर, दुदा भोलीराम तथा वरदा का नाम समान हिस्से से दर्ज हैं। ''परिशिष्ट स'' में वर्णित आराजी नम्बर 882 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा उक्त आराजीयात में 3/4 हिस्सा लोगर, दुदा, वरदा, 3/44 हिस्सा भोलीराम 2/11 हिस्सा खुबीलाल के नाम दर्ज हैं।

3. पेमा जी के जीवनकाल में लोगर एवं दुदा जो पेमा जी के लडके हैं कसना जी के गोद चले गये परन्तु कसना की विरासत से जमीन अकेले लोगर के नाम आई जिस पर लोगर ने अपने समान हिस्सा दुदा को भी दे दिया तथा पेमा की जमीन में इसके बाद केवल हम प्रार्थीयांगण एवं विपक्षी सं. 3 एवं 4 का हक रहा इस तरह उक्त आराजीयात में प्रार्थीयांगण का 3/10 हिस्सा एवं विपक्षीगण 3 एवं 4 का 2/10 हिस्सा बनता है चुंकि दुदा का हिस्सा पेमा की विरासत से नहीं बनता हैं।
4. प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 में वर्णित आराजीयात पुर्व में हम प्रार्थीयांगण के पिता जी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी हमारे पिता जी का निधन हो चुका है वर्तमान में विपक्षीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर हमें हमारें अधिकारों से वंचित करने के लिए अपना नाम लगवा दिया तथा हमारा नाम विरासत बाद खुले नामान्तकरण में नहीं रखा जिससे उक्त आराजीयात में हमारा नाम खातेदार की हैसियत से दर्ज नहीं हो पाया जबकि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात में हम प्रार्थीयांगण को भी विरासत अनुसार पेमा जी के अन्य वारिसों के समान हिस्सा मिलकर हमारा नाम दर्ज होना चाहिए था।
5. जमाबंदी में गलत अंकन के आधार पर विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 में वर्णित आराजी सं. 884 के 2/11 हिस्से का विक्रय खुबीलाल को कर दिया है जो हमारे हितों के मुकाबले शुन्य हैं।
6. विपक्षीगण जमाबंदी में अपने नाम का गलत दाखिला होने से उपरोक्त सभी विपक्षीगण मिलकर हम प्रार्थीयांगण को हमारे हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है एवं उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करना चाहते है, जिनका प्रार्थीयांगण को कोई हक अधिकार नहीं है विपक्षीगण हम प्रार्थीयांगण को शान्तिपूर्वक काश्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिनका इन्हे कोई हक अधिकार नहीं हैं।
7. आराजी सं. 591 लोक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त कि गई जिसका मुआवजा भी विपक्षीगण ने अकेले प्राप्त कर लिया इसलिए अवाप्त हुई जमीन के बदले अन्य जमीन हमारे खाते की जावें।
8. हम प्रार्थीयांगण को विपक्षीगण जबरन ताकत के बल पर हम प्रार्थीयांगण को उन्हे विरासत से मिली खातेदारी की जमीन से बेदखल करने पर आमादा है अगर विपक्षीगण हम प्रार्थीयांगण को उक्त आराजीयात से बेदखल कर देते है तो हम प्रार्थीयांगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है, जिसका आंकलन रूपयों पैसों में नहीं हो सकता है, एवं जिसका विपक्षीगण को कोई अधिकार नहीं होने से हम प्रार्थीयांगण इनके खिलाफ कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारीणी हैं।
9. हम प्रार्थीयांगण का प्राईमाफैसी मुकदमा है चुंकि हम प्रार्थीयांगण प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 में वर्णित आराजीयात में पेमा जी की वारिस होने की हैसियत से खातेदार काश्तकार होने का अधिकार रखती है। इसलिए यदि विपक्षीगण को हम प्रार्थीयांगण के हिस्से की जमीन में दखलन्दाजी करने से एवं जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने एवं निर्माण करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थीयांगण को होने वाली क्षति का आंकलन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकेगा।
10. प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 में वर्णित आराजीयात पेमा जी की विरासत से हम प्रार्थीयांगण को मिली है इसलिए हम प्रार्थीयांगण की सहमति बिना विपक्षीगण को

वादग्रस्त आराजीयात को रहन बैह बक्षीस एवं अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं हैं।

11. प्रार्थना पत्र कारण तारीख 28.11.2012 को पैदा हुआ जबकि विपक्षीगण प्रार्थीयांगण के हिस्से व कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में अवरोध पैदा करने एवं इसे पुनः हस्तान्तरित करने पर उतारू हुए तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है।
12. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीयांगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी जावे कि वाद के निस्तारण होने तक प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 में अंकित आराजीयात में प्रार्थीयांगण के हिस्से व कब्जे की जमीन पर विपक्षीगण कोई दखलन्दाजी न करे तथा ना ही कोई नया रास्ता कायम करें। प्रार्थीयांगण को अपने हिस्से व कब्जे की जमीन का उपयोग उपभोग करने से नहीं रोके, न कोई अवरोध पैदा करे, न कोई नुकसान कारित करे, न कोई नया निर्माण करे मुल वाद के निस्तारण तक कलम सं. 2 में वर्णित आराजीयात विपक्षीगण रहन, बैह, बक्षीस या किसी भी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
13. पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । विपक्षी सं. 2,4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 1 व 3 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर निवेदन किया कि परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जो हिस्सा प्रार्थीयांगण ने बताया है वह गलत बताया है। वास्तविकता यह है कि विपक्षी सं. 1 लोगर मुतबन्ना कसना के उपरोक्त परिशिष्ट में 1/4 हिस्सा व विपक्षी सं. 2 दुदा के 1/4, विपक्षी सं. 4 वरदा के 1/4 हिस्सा, विपक्षी सं. 3 भोलीराम के 3/44 हिस्सा एवं विपक्षी सं. 5 खुबीलाल के 2/11 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। परिशिष्ट ब एवं स में अंकित हिस्सा प्रार्थीयांगण स्वयं सिद्ध करावें। प्रार्थना पत्र की कलम सं. 4 में अंकित कथन कि लोगर कसना जी के गोद चला गया तदोपरान्त कसना जी की विरासत से जमीन लोगर के हिस्से आयी स्वीकार है। किन्तु यह कथन अस्वीकार है कि प्रार्थीयांगण का वादग्रस्त आराजीयात में 3/10 हिस्सा बनता है। विपक्षीगण सं. 3 व 4 का जो हिस्सा दर्ज है वह सही दर्ज है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में श्री पेमा पिता उंकार जी के खाते दर्ज थी। किन्तु प्रार्थीयांगण का यह कथन अस्वीकार है कि विपक्षीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर प्रार्थीयांगण को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए अपना नाम लगवा लियां। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय आपके समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आये। उन्होनें माननीय न्यायालय आपको अंधेरे में रखकर हस्तगत प्रार्थना पत्र एवं वाद प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है क्योंकि जब श्री पेमा जी का निधन दिनांक 27.02.1996 को हुआ था उसके बाद दिनांक 04.08.1996 को जो नामान्तरकरण ग्राम पंचायत नान्दवेल के समक्ष प्रस्तुत हुआ उक्त नामान्तरकरण के साथ हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीयांगण के रूप में संयोजित पक्षकारान अर्थात् पेमा जी पुत्रीयों ने 5–5 रूपयों के स्टाम्प पर उपरोक्त नामान्तरकरण के स्वीकृत होने में अपनी सहमति जरिये सहमति पत्र दी थी। तीनों पुत्रीयों के द्वारा सम्पादित सहमति पत्र की फोटोप्रति जवाबदावें के साथ संलग्न है जिसमें तीनों ही बहनों ने अपने पिता की चल अचल सम्पति एवं कृषि भूमि के नामान्तरकरण विपक्षीगण के पक्ष में खोल देने में किसी भी प्रकार की कोई एतराज या आपत्ति नहीं होने एवं भविष्य में भी कोई आपत्ति नहीं करने का कथन कर रखा है और सहमति स्वरूप अपनी अंगुष्ठ निशानी उपरोक्त सहमति पत्र पर कर रखी है जिससे स्पष्ट है कि जो नामान्तरकरण श्री पेमा जी के निधन के उपरान्त उनके वारिसान के नाम पर खुला उसमें प्रार्थीगण की पूर्ण सहमति

थी तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा भी पूरी जॉच पडताल कर सहमति एवं मुतबन्ना बाबत् उक्त नामान्तरकरण पर टिप्पणी अंकित कर नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है। अब प्रार्थीगण पूर्व में सम्पादित किये गये सहमति पत्र के तथ्य को माननीय न्यायालय से छूपाकर मन चाही दाद प्राप्त करना चाहती हैं जिसे प्राप्त करने की वे किसी भी रूप में अधिकारिणी नहीं है। विपक्षी सं. 3 भोलीराम ने अपने हक हिस्से की भूमि में से जो 2/11 हिस्सा विपक्षी खुबीलाल को बेचा है वह वैद्य है क्योंकि इस भूमि में प्रार्थीगण के जो हक अधिकार निहित थे वे सभी हक प्रार्थीगण ने अपनी लिखित सहमति प्रकट कर विपक्षी भोलीराम, वरदा, दुदा में वेस्ट कर इनके पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कराया हैं तथा विपक्षी भोलीराम, वरदा, दूदा अपने पिता पेमा के जीवनकाल से अपने अपने हिस्से की भूमियों का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे है। जिस विक्रय बाबत् एतराज प्रार्थीगण ने किया है वह प्रार्थीगण अथवा उनके हितों के मुकाबले किसी भी दृष्टि से शून्य नही है।

14. विपक्षीगण का जो नाम उनके पिता के देहान्त के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में अंकित हुआ है उसी अनुसार विपक्षीण अपने हिस्से की कृषि भूमियों का शांतिपूर्वक निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते आये है। इस भूमि के किसी भी भू–भाग पर प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार कब्जा कभी भी नही रहा है ओर न ही वर्तमान में ही है। जो भूमि लोक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त की गई थी उसके विपक्षीगण खातेदार काश्तकार थे और मुआवजा भी कानुनन खातेदार काश्तकार को ही दिया जाता है और विपक्षीगण अवाप्त की गई भूमि के खातेदार थे इसलिये विपक्षीगण द्वारा अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा प्राप्त किया था। प्रार्थीगण ने पेमा जी की चल अचल सम्पति मे जो हक अधिकार निहित थे उन्है अपनी सहमति से विपक्षीगण को दे दिये थे तो ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण न तो किसी प्रकार की मुआवजा राशि प्राप्त करने की अधिकारीणी थी और न ही अब उसके बदले कोई भूमि प्राप्ति की अधिकारीणी ही है। वादग्रस्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई है उस पर विपक्षीगण अपने पिता के जीवनकाल से ही अपने हिस्सेनुसार काबिज हो काश्त करते चले आ रहे थे और उस समय भी प्रार्थीगण का कोई कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नही था ओर विपक्षीगण के पिता के निधनोपरान्त प्रार्थीगण स्वयं ने अपनी लिखित सहमति प्रकट कर उनके हक हिस्से की सम्पूर्ण जयदाद को विपक्षीगण के पक्ष में समर्पण कर राजस्व अधिकारियो से नामान्तरण विपक्षीगण के नाम पर स्वीकृत कराया है। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा होना एवं प्रार्थीगण को बेदल करने का कथन अपने आपमें निराधार एवं मिथ्या है। प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारीणी नही है।

15. प्रार्थीगण का कोई प्राईमाफेसी मुकदमा नही है क्योंकि वादग्रस्त आराजीरात की प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नही है और न ही प्रार्थीगण का इस भूमि में कोई हक अधिकार है। प्रार्थीगण ने अपने हक हिस्से को जरिये सहमति पत्र विपक्षीगण के पक्ष नामान्तरण खुलवाया है। जब प्रार्थीगण मौके पर काबिज ही नही है तो उन्है किसी भी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है।

16. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या बारह गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण को हमारे विरूद्व दिनांक 28.11.2012 या अन्य किसी दिनांक को कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नही हुआ।

17. विशेष कथन कर निवेदन किया कि – यह कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय से तथ्यों को छूपाकर हस्तगत प्रार्थना पत्र एवं वाद प्रस्तुत किया है क्योंकि जब श्री पेमा जी का निधन दिनांकः 27.02.1996 को हुआ था उसके बाद दिनांक 04.08.1996 को जो नामान्तरण ग्राम पंचायत नान्दवेल के समक्ष प्रस्तुत हुआ उक्त नामान्तरण के साथ

हस्तगत प्रार्थना पत्र में संयोजित पक्षकारान अर्थात पेमा जी की पुत्रीयों ने 5–5 रूपये के स्टाम्प पर उपरोक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति होने में अपनी सहमति जरिये सहमति पत्र दी थी। सहमति पत्र में तीनों ही बहनों ने अपने पिता की चल अचल सम्पति एवं कृषि भूमि के नामान्तरकरण विपक्षीगण के पक्ष में खोल देने में किसी भी प्रकार की कोई एतराज या आपत्ति नही होने एवं भविष्य में भी कोई आपत्ति नही करने का कथन कर रखा है और सहमति स्वरूप अपनी अंगुष्ठ निशानी उपरोक्त सहमति पत्र पर कर रखी है जिससे स्पष्ट है कि जो नमान्तरकरण श्री पेमा जी के निधन उपरान्त उनके वारिसान के नाम पर खुला उसमें प्रार्थीगण की पूर्ण सहमति थी तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा भी पूरी जॉच पडताल कर सहमति एवं मुतबन्ना बाबत् उक्त नामान्तरकरण पर टिप्पणी अंकित कर नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है। अब प्रार्थीगण पूर्व में सम्पादित किये गये सहमति पत्र के तथ्य माननीय न्यायालय से छूपाकर मन चाही दाद प्राप्त करना चाहती है जिसे प्राप्त करने की वे किसी भी रूप में अधिकारीणी नही है। यह कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का कहीं पर भी कोई उल्लेख नही किया है कि सुविधा संतुलन का बिन्दू किस प्रकार उनके पक्ष में है अतः उनका प्रार्थना पत्र इस आधार पर भी खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

18. उपरोक्त प्रकरण में विपक्षी सं. 5 खुबीलाल की ओर से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित भूमि परिशिष्ट (अ) में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जो हिस्सा प्रार्थीगण ने बताया है वह गलत बताया है वास्तविकता यह है कि विपक्षी सं. 1 लोगर मुतबन्ना कसना के उपरोक्त परिशिष्ट में 1/4 हिस्सा व विपक्षी सं. 2 दुदा के 1/4, विपक्षी सं. 4 वरदा के 1/4 हिस्सा, विपक्षी सं. 3 भोलीराम के 3/44 हिस्सा एवं मुझ विपक्षी सं. 5 खुबीलाल के 2/11 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। परिशिष्ट (ब) व (स) में अंकित हिस्सा जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। मुझ विपक्षी सं. 5 (क्रेता) ने विपक्षी सं. 3 से जो हिस्सा क्रय किया है वह विक्रय की सम्पूर्ण प्रक्रियाओं का पालन करते हुए क्रय किया है अर्थात् मुझ विपक्षी (क्रेता) ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर भूमि का आधिपत्य प्राप्त किया है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से मुझ विपक्षी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत होकर मेरे नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हुई है मैं विपक्षी अपनी खरीदसुदा भूमि पर वक्त खरीद से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। मै विपक्षी अपने द्वारा क्रय की गई भूमि पर क्रय की दिनांक से काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से काश्त कर रहा हूं। मौके पर प्रार्थीगण काबिज नहीं है ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक काश्त करने में बाधा उत्पन्न करने बाबत् कथन अक्षरशः निराधार हैं। कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। यदि मुझ विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो मै विपक्षी अपनी खरीदसुदा कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जांउगा जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होने वाली है। प्रार्थीगण मुझ विपक्षी के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण का कोई प्राइमाफैसी मुकदमा नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण का मौके पर कभी कोई कब्जा नही रहा है और न ही प्रार्थीगण ने कभी काश्त की हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन में दखलन्दाजी करने एवं जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने एवं निर्माण करने का कथन स्वंयमेव मिथ्या है। विशेष कथन कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का कही पर भी कोई उल्लेख नहीं किया है कि सुविधा

संतुलन का बिन्दु किस प्रकार उनके पक्ष में है अतः उनका प्रार्थना पत्र इस आधार पर भी खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

19. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों को अंकित कर पेश किया जाना बताया एवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

20. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी के नाम पर दर्ज हैं। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं जमाबन्दी व नामान्तरकरण से स्पष्ट है कि विपक्षी सन् 1996 से ही खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी के नाम पेमा के विरासत के नामान्तरकण के समय अपने भाईयो के नाम विरासत से नाम भूमि दर्ज करने बाबत् सहमति पत्र लिखकर दिया जो नोटेरी किया हुआ होकर नामान्तरण पंजीका में नामान्तरकरण सं. 575 पर चस्पा है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा स्वंय यह सहमति स्टाम्प पर लिख कर दी गई है जिसके आधार पर उक्त नामान्तरकरण पारित हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा इस सहमति पत्र के कूटरचित होने या फर्जी होने बाबत् कोई कार्यवाही करने का प्रमाण पेश नहीं किया है। इस सहमति पत्र के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं न ही इस नामान्तरकरण के विरूद्ध ही कोई अपील पेश की है। जबकि उक्त वर्णित भूमि के विपक्षी सन् 1996 से खातेदार है। एवं विपक्षी सं. 5 भूमि क्रय कर खातेदार बने है जो प्रकरण में सद्भावी क्रेता है। प्रार्थीगण लगभग 17 वर्षो बाद उक्त भूमि में खातेदारी हेतु घोषणात्मक वाद पेश किया है। इससे वर्ष से भूमि के खातेदार है एवं प्रथम दृष्टया भी खातेदार का भूमि पर कब्जा है। अतः 17 वर्षो से भूमि पर विपक्षी के खातेदार होने से प्रथम दृष्टया कब्जा भी खातेदार का माने जाने से प्रथम दृष्टया मामला भी खातेदार विपक्षी के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि के विपक्षी लगभग 17 वर्षो से खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। विपक्षी सं. 5 प्रकरण में सद्भावी क्रेता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण भी विपक्षीगण के पक्ष में साबित हुआ हैं। विपक्षी खातेदार दर्ज रिकार्ड होने से सुविधा का संतुलन भी विपक्षी के पक्ष में हैं। प्रकरण में विपक्षीगण खातेदार होने से यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो इनके खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। अतः सुविधा

का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी विपक्षी के पक्ष में साबित होते है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

21. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। पटवारी हल्का से उक्त नामान्तरण पर चस्पा सहमति पत्र की सत्यप्रतिलिपि तलब की गई। पेमा के फौत होने से विरासत से भूमि विपक्षी के नाम दर्ज हुई है। जिसमें प्रार्थीगण स्वंय ने 5 रूपये के स्टाम्प पर सहमति पत्र दिया जाकर उक्त भूमि में किसी प्रकार के हक नहीं मानन कर विपक्षी के नाम नामान्तरण खोलने पर कोई एतराज जाहिर नहीं किया जिसकी पालना में नामान्तरकण स्वीकृत होकर विपक्षी खातेदार बने है। प्रार्थी द्वारा उक्त सहमति के कूटरचित होने बाबत् भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। जबकि विपक्षी लगभग 17 वर्षो से भूमि के खातेदार काश्तकार है। विपक्षी सं. 5 सदभावी क्रेता है। प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में वर्तमान में खातेदार विपक्षीगण है एवं खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाता उचित नहीं हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली